संख्या /2019–06(5)/2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) **देहरादून : दिनांकः** 20 **फरवरी, 2019**

विषयः उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत **बागेश्वर प्रभाग हेतु Agri Business Support Organization (ABSO) Consultancy हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0–2 के पत्रसंख्या 2079/3–33 (ABSO KUMAON) दिनांक 08 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत बागेश्वर प्रभाग हेतु Agri Business Support Organization (ABSO) Consultancy कार्यों के लिये शासनादेश संख्या 55/2017–6(05)/2017 दिनांक 07.03.2017 द्वारा अनुमोदित संस्था Society For Uttaranchal Development & Himalayan Action(SUDHA) The Mall Almora को कन्सलटैन्सी कार्यों के लिए शासनादेश संख्या 516/2017–6(5)/2017 दिनांक 28.08.2017 द्वारा 4 वर्षो की अवधि के लिये अनुमोदित लागत रु0 1,12,55,860.00 (रु0 एक करोड़ बारह लाख पचपन हजार आठ सौ साठ हजार मात्र) एवं इस पर नियमानुसार देय सेवाकर के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 35.00 लाख (रु0 पैंतीस लाख मात्र) का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त धनराशि का व्यय कार्य/योजना हेतु लागू वर्तमान नियमों, आदेशों, निर्धारित मानकों, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 एवं विश्व बैंक की गाईड लाईन्स के अनुसार किया जायेगा।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म 001–निदेशन तथा प्रशासन 97–वाहय सहायतित योजना 9701–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के मानक मद 42–अन्य व्यय के अन्तर्गत मुख्य परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या 99 /06(5)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2— महालेखाकार, ऑडिट उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड देहरादून।
3— आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
4— जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
6— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7— वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देव सिंह)
उप सचिव